

कैम्प कोर्ट 11/05/16

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल (भीलवाड़ा)

प्रकरण संख्या : 475/16 प्रा0पत्र

अनवान

निमित्त-

तहसीलदार माण्डल / करेड़ा

विषय - पत्थर गढ़ी किये जाने बाबत।

श्रीमती कमली देवा मैरु गील निवासी- प्वावलास, तहसील- माण्डल [कौंग]

V/S

श्री बालु सो लालु लाल, निवासी- प्वावलास, तहसील- माण्डल [कौंग]
(सुल्हांछिन 51-पत्र सलेम)प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि.1956
आदेश

दिनांक 27.9.16

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 27.9.16 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ~~प्वावलास, प.स. 20. प्वावलास~~ तहसील माण्डल / करेड़ा में उसके खाते / संयुक्त खातों की कृषि भूमि आराजी नं. 3118/304. मे. 0.2 बीघा..... कुल किता 0.1 रकबा 0.2 बीघा विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातों / संयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 27.9.16 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील माण्डल / करेड़ा के वाके ग्राम ~~उक्त~~ स्थित आराजी के खाते की कृषि भूमि आराजी ~~उक्त~~ कुल किता ~~उक्त~~ रकबा ~~उक्त~~ बीघा ~~उक्त~~ विस्वा पर पत्थरगढ़ी व सामलात पक्षकारान करा देवें। मौके पर कब्जे की स्थिति यथावत बनी रखें। प्रार्थी भू0अ0 निरीक्षक ~~प्वावलास~~ कमिश्नर फीस राशि रूपये 250/- पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी फसल खड़ी होने पर नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अमाण्डल माण्डल

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल / करेड़ा को भेजकर लेख है कि आवेदक की राशि जमा होने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अमाण्डल माण्डल